

10. लिखित परीक्षा :

लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 120 अंकों का होगा, जिसमें वर्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार के 120 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 02 घन्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के 01 अंक देय होंगे। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का एक चौथाई अंक काटा जायेगा। यह परीक्षा ऑफलाइन तथा ओ.एम.आर. आधारित (offline and OMR based) होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, प्राप्तांकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी :-

लिखित परीक्षा का सिलेबस	प्रश्न	कुल अंक
विवेचना एवं तारीके योग्यता	30	30
सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर	30	30
राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि	60	60
योग	120	120

- इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व ई.डब्लू.एस. वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40 प्रतिशत प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36 प्रतिशत प्राप्तांक, समग्र रूप से लाना अनिवार्य है।
- ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक (Minimum) सीमा लागू नहीं होगी।
- भूतपूर्व सैनिकों को प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 120 का सम्बन्धित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 05 प्रतिशत शिथिलन तथा चयनित भूतपूर्व सैनिकों की विज्ञापित संख्या की अनुपलब्धता के मामले में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ. 5 (18) डी.ओ.पी./क-2/84/पार्ट-II दिनांक: 22.12.2020 के खण्ड-5 में वर्णित नियम अनुसार 05 प्रतिशत छूट देय होगी।
- लिखित परीक्षा के पश्चात प्रश्न पत्र सम्बन्धी आपत्तियां आमन्त्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा।
- लिखित परीक्षा में पदवार/वर्गवार/महिला/पुरुष रिक्तियों के 05 गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जायेगा, जिसकी सूचना एवं परिणाम वेबसाइट <https://home.rajasthan.gov.in/homeguards> पर देखी जा सकेगी एवं गृह रक्षा, मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जायेगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेंगे।

11. शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test/PET) :

विभाग की पदवार/वर्गवार/महिला/पुरुष रिक्तियों के 05 गुणा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दोड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित केन्द्र, पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

लिखित परीक्षा के उपरान्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती महिलाओं (प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र व दस्तावेज के आधार पर) को शामिल करने हेतु राज्य स्तर पर यदि उक्त अभ्यर्थी पी.एस.टी./पी.ई.टी. में उत्तीर्ण हुई होती तो (विशेष अंक योग्यता के अंक सहित)

आवेदन राज्य स्तर पर उसके अंक वर्ग की कट-ऑफ से अधिक होने की स्थिति में ही उसके लिए पद रिक्त रखा जायेगा और कट-ऑफ से कम अंक होने पर उसके लिए कोई पद रिक्त नहीं रखा जायेगा। गर्भवती महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में समिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है, परन्तु शारीरिक परीक्षा के दिन उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार सूचना को बोर्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 05 किलो-मीटर दौड़ निम्नानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है :-

पद नाम	पुरुष	महिला	भूतपूर्व सैनिक	ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के अनु.जाति / अनु.जन जाति	अंक
आरक्षी,	25 मिनिट	35 मिनिट	30 मिनिट	30 मिनिट	20
आरक्षी वाहन चालक / आरक्षी बिगुलर, आरक्षी इमैन	25 मिनिट	35 मिनिट	30 मिनिट	30 मिनिट	10

नोट :

1. शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा।
2. उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड़ पूर्ण नहीं करने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुये भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में समिलित नहीं किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए समिलित किये जायेंगे।

12. शारीरिक मापतौल (Physical Standard Test/PST) :

भर्ती बोर्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतौल परीक्षा लेगा। भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतौल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत करायेगा तथा हस्ताक्षर करायेगा। अभ्यर्थियों की मापतौल की सूची पर चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील किये जायेंगे।

अपील :

शारीरिक मापतौल में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रूपये 500/- शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है, तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुये उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अपील की क्रियान्विति के लिये भर्ती बोर्ड के साथ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जायेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवम् चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होंगे। स्थानीय चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन करायेगा, जिसमें एक फिजीशियन, एक सर्जन एवम् एक हड्डी विशेषज्ञ होगा। सीने की माप में अल्प समय में परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है। अतः अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन गठित मेडिकल बोर्ड से मापतौल कराई जायेगी तथा वह मापतौल अन्तिम मानी जायेगी। बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट विडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिंग के साथ अलग से परिशिष्ट होगा, जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात हुई मापतौल पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है, उसे पूर्ण रूप से सूचित करेंगे तथा उसके हस्ताक्षर लेंगे।